न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मालाखेडा जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी सुश्री नवज्योति कंवरिया (आर.ए.एस.)

अपील संख्या	तारीख दायर	निर्णय दिनांक
5 / 2	15.02.2023	20.01.2026

बउनवान

01. मनीष कुमार योगी पुत्र स्व० श्री जयराम जाति जोगी निवासी ग्राम खारेडा तहसील मालाखेडा जिला अलवर राज०

अपीलान्ट

बनाम

01. ग्राम पंचायत खारेडा पंचायत समिति मालाखेडा जरिये सरपंच

असल रेस्पोडेन्टान

02. बदामी देवी पुत्री सोन्या पत्नी झारसा जाति जोगी निवासी ग्राम खारेडा हाल निवासी मानकोट सालेटा जिला अलवर
03. प्रेमवती पुत्री सोन्या पत्नी हरनाथ जाति जोगी निवासी ग्राम खारेडा तहसील मालाखेडा जिला अलवर हाल बगड राजपूत जिला अलवर
04. नर्बदा पुत्री किशोर पत्नी रामोतार जाति जोगी निवासी ग्राम खारेडा तहसील गालाखेडा जिला अलवर हाल गूंदपुर अलवर (खानपुर जाट) अलवर राज०
05. नरेश योगी पुत्र जयराम जाति जोगी निवासी जोगियों का मोहल्ला जाति जोगी निवासी ग्राम खारेडा तहसील मालाखेडा जिला अलवर
06. उर्मिला योगी पुत्री जयराम पत्नी अशोक योगी जाति जोगी निवासी ग्राम खारेडा तहसील मालाखेडा जिला अलवर हाल ग्राम दीनार जिला अलवर राज०

तस्तीबी रेस्पोडेन्टान

उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते मालाखेडा (अलवर)

अपील विरूद्ध विरासत इंतकाल संख्या 321 दिनांक 22.01.2007, इंतकाल संख्या 1047 दिनांक 06.11.2020, इंतकाल संख्या 1052 दिनांक 20.11.2020 एवं इंतकाल संख्या 982 दिनांक 24.12.2011 वाके ग्राम पंचायत भण्डोडी हाल खारेडा पंचायत समिति मालाखेडा

निर्णय

वकील अपीलान्ट ने यह अपील विरूद्ध तहत अदालत ग्राम पंचायत भण्डोडी हाल खारेडा पंचायत समिति मालाखेडा सरपंच ग्राम पंचायत खारेडा पंचायत समिति मालाखेडा के निर्णय से व्यथित होकर प्रस्तुत की है। अपील का संक्षिप्त वृतान्त इस प्रकार है कि अपीलान्ट के पीछे से रेस्पाडेन्ट सं0 1 द्वारा निर्णय पारित कर इंतकाल संख्या 321 दिनांक 22.01.2007, इंतकाल संख्या 1047 दिनांक 06.11.2020, इंतकाल संख्या 1052 दिनांक 20.11.2020 एवं इंतकाल संख्या 982 दिनांक 24.12.2019 वाके ग्राम खारेडा तहसील मालाखेडा जिला अलवर स्वीकार फरमाया गया है। जिसकी सर्वप्रथम जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 18.08.2022 को हुई। उक्त इंतकाल त्रुटि पूर्ण स्वीकृत हुए है। ऐसे त्रुटि पूर्ण इंतकालो की अपील के लिए मियाद रफा, हुज्जत उक्त अवधि को कण्डोन कराने हेतु अलग से प्रार्थना पत्र धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत पेश किया गया है। उक्त इंतकाल में अपीलान्ट का सही व

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेडा (अलवर)

वास्तविक नाम मनीष कुमार योगी पुत्र जयराम के स्थान पर छंगा पुत्र जयराम एवं तरतीबी रेस्पोडेन्टान के सही नाम बदामी पुत्री सोन्या के स्थान पर बिदाम पुत्री सोन्या, प्रेमवती पुत्री सोन्या के सही नाम के स्थान पर प्रेम पुत्री किशोर, नर्बदा पुत्री किशोर के सही नाम के स्थान पर कौली, नरेश योगी पुत्र जयराम के स्थान पर नरसी पुत्र जयराम, उर्मिला योगी पुत्री जयराम के स्थान पर लाली पुत्री जयराम दर्ज कर स्वीकार किये गये है। चूँकि वक्त स्वीकृत इंतकाल अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्टान उपस्थित नही थे। इसलिए उक्त इंतकाल की जानकारी अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्टान को नही हो सकी तथा उक्त इंतकालो की नकल प्राप्त करने के पश्चात उनका अवलोकन कर पता चला। उक्त इंतकाल में अपीलान्ट एवं तरतीबी रेस्पोडेन्टान के सही व वास्तविक नाम दर्ज कर स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्ट जरिए रजिस्टर्ड एडी नोटिस तलब किये गये। असल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 एवं तरतीबी रस्पोडेन्ट संख्या–2 लगायत 6 की ओर से जवाब पेश कर अपील स्वीकार करने का कथन किया। पत्रावली मे तहसीलदार मालाखेडा से अपील मे अंकित बिन्दूओं की जॉच रिपोर्ट तलब की गयी।

तहसीलदार मालाखेडा द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक–04.03.2024 में अंकित किया गया है कि अपील में अंकित समस्त नाम जरिये विरासत नामान्तकरण राजस्व रिकॉर्ड में अंकित किये गये है। नाम शुद्वि हेतु विरासत में दर्ज पिता के नामों के संबंध में साक्ष्य सबूत प्राप्त किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

उभयपक्ष की बहस सुनी। वकील अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए इंतकाल की जानकारी से अपील प्रस्तुत करने तक के समय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम के तहत मुजरा किया जाकर अपील स्वीकार करने का कथन किया।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात तथा रेस्पाडेन्ट सं0 1 द्वारा निर्णय पारित इंतकाल संख्या 321 दिनांक 22.01.2007, इंतकाल संख्या 1047 दिनांक 06.11.2020, इंतकाल संख्या 1052 दिनांक 20.11.2020 एवं इंतकाल संख्या 982 दिनांक 24.12.2019 वाके ग्राम खारेडा तहसील मालाखेडा का अवलोकन किया। वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा मियाद अवधि के बाहर अपील पेश करने में हुई देरी के समय को कन्डोन किया जाता है। तहत अदालत ग्राम पंचायत खारेडा को इंतकाल को स्वीकार करने से पूर्व भलीभांति जांच करनी चाहीए थी।

अतः तहत अदालत ग्राम पंचायत पारित द्वारा निर्णित इंतकाल संख्या 321 दिनांक 22.01.2007, इंतकाल संख्या 1047 दिनांक 06.11.2020, इंतकाल संख्या 1052 दिनांक 20.11.2020 एवं इंतकाल संख्या 982 दिनांक 24.12.2019 वाके ग्राम खारेडा तहसील मालाखेडा निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार मालाखेडा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) किया जाता है कि विधिक जांच कर नियमानुसार नामान्तकरण दर्ज किया जावें। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहसीलदार मालाखेडा को पालनार्थ भिजवायी जावे।

(नवज्योति कंवरिया)
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा (अलवर)

यह निर्णय आज दिनांक 20.01.2026 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)